



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012023-241988
CG-DL-E-14012023-241988

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]
No. 21]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2023/पौष 23, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2023/PAUSHA 23, 1944

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 21(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाक विभाग (डाक सहायक और छंटाई सहायक) भर्ती नियम, 2022 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग (डाक सहायक और छंटाई सहायक) भर्ती (संशोधित) नियम, 2023 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. डाक विभाग (डाक सहायक और छंटाई सहायक) भर्ती नियम, 2022 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के संक्षिप्त नाम में दिए “(डाक सहायक & छंटाई सहायक)” कोष्ठक, शब्द और चिह्न के स्थान पर, “(डाक सहायक और छंटाई सहायक)” कोष्ठक और शब्द रखा जाएगा।
3. उक्त नियमों की अनुसूची में, क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, और 5 पर दिए गए पदों के संबंध में स्तंभ (11) के अधीन की गई प्रविष्टियों के भाग (आ) के स्थान पर –
 - (i) टिप्पण 1 से पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 में पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने डाक विभाग (डाक सहायक और छंटाई सहायक) भर्ती नियम, 2022 के लागू होने अथवा इससे पूर्व, ग्रामीण डाक

सेवकों के रूप में नियमित सेवा की हो, के लिए नियमित सेवा की कुल अवधि पांच वर्ष होगी, जिसके अधीन ग्रामीण डाक सेवक के रूप में की गई नियमित सेवा सम्मिलित है।”;

(ii) टिप्पण 2 में, “यह प्रोन्नति, प्रोन्नति पद पर नियुक्ति” शब्दों से लेकर, “पूरा करने के अध्यक्षीन होगी” तक के भाग के साथ आरंभिक भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् -

“यह प्रोन्नति, प्रोन्नति पद पर नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर, डाक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित ‘प्रेरक प्रशिक्षण’ को पूरा करने के अध्यक्षीन होगी।”;

(iii) टिप्पण 3 में, “जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है” शब्दों और आंकड़ों से लेकर, “अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो” तक के भाग के साथ आरंभिक भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् -

“जहां कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु -”

(क) ज्येष्ठ व्यक्तियों तथा कनिष्ठ व्यक्तियों, दोनों को भर्ती प्रक्रिया के एक-समान माध्यम से भर्ती किया गया हो और दोनों ने वर्तमान पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति से पूर्व एक ही फीडर संवर्ग में रहे हों।

(ख) ज्येष्ठ व्यक्तियों द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक है या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।”

[फा. सं. 04-05/2015-एसपीएन-1]

सत्य नारायण दास, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 459(अ), तारीख 17 जून, 2022 के अधीन प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2023

G.S.R. 21(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Posts (Postal Assistant & Sorting Assistant) Recruitment Rules, 2022, namely:-

(1) These rules may be called the Department of Posts (Postal Assistant and Sorting Assistant) Recruitment (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Posts (Postal Assistant & Sorting Assistant) Recruitment Rules, 2022 (hereinafter to be called as the said rules), in the short title, for the brackets, words and symbol “(Postal Assistant & Sorting Assistant)”, the brackets and words “(Postal Assistant and Sorting Assistant)” shall be substituted.

3. In the Schedule to the said rules, in the posts against serial number 1, 2, 3, 4 and 5, in the entries under column (11), in Part (B),—

(i) before Note 1, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that for officials holding post in Level 1, Level 2 and Level 3 of the Pay Matrix, who have rendered regular service as Gramin Dak Sevaks on or before the commencement of the Department of Posts (Postal Assistant and Sorting Assistant) Recruitment Rules, 2022, the total regular service including the service rendered regularly as Gramin Dak Sevaks shall be five years.”;

(ii) in Note 2, for the portion beginning with the words “Promotion shall be subject to completion of” and ending with the words “appointment to the promotional post:”, the following shall be substituted, namely:—

“Promotion shall be subject to completion of ‘Induction Training’, conducted by the Postal Training Centre, within two years from the date of appointment to the promotional post:”;

(iii) in Note 3, for the portion beginning with the words and figure “Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service” and ending with the words “who have already completed such qualifying or eligibility service”, the following shall be substituted, namely:—

“Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, seniors shall also be considered, provided—”

- (a) both the senior and junior were recruited through same mode of recruitment and were holding same feeder cadre prior to appointment to the present post on regular basis; or
- (b) seniors are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.”.

[F. No. 04-05/2015-SPN-I]

SATYA NARAYANA DASH, Director

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 459(E), dated the 17th June, 2022.